

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादीगण

- 1.कैलाशकुमार पुत्र ताराराम जी जाति माली निवासी पोसालिया
  - 2.गोविन्द पुत्र नत्थाराम जी जाति माली निवासी गोकूलवाडी शिवगंज
  - 3.जसीदेवी पत्नी तारारामजी जाति माली निवासी पोसालिया
  - 4.नथमल पुत्र छोगारामजी जाति माली निवासी पालडीजोड तह0 सुमेरपुर
  - 5.भंवरलाल पुत्र तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 6.ममतादेवी पुत्री तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 7.शंकरलाल पुत्र तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 8.सीतादेवी पुत्री तारारामजी माली निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज
- विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जैसाराम पुत्र रतनलाल जी माली
2. हुकमीचंद पुत्र रतनलाल जी माली निवासीगण पोसालिया तह0 शिवगंज
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव  
प्रतिवादी सं0 1 व 2

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23/2023

—:निर्णय:—

दिनांक 17.02.2026

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक 395 दिनांक 18.06.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/कोर्ट/2025/417 दिनांक 24.06.2025 से मौजा पौसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नं0 1037/535, 670, 671, 672, 673 कुल किता 5 कुल रकबा 9.9147 हैक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाया गया जिसमें उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक/कोर्ट/2026/ 8/  
प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
तहसीलदार, शिवगंज।

(नीरज मिश्र)  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
शिवगंज (सिरोही)  
दिनांक 17.02.2026

(एस.डी.ओ.)  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्ली व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)  
बईजलास श्री नीरज मिश्र, R.A.S

वादी

- 1.कैलाशकुमार पुत्र ताराराम जी जाति माली निवासी पोसालिया
  - 2.गोविन्द पुत्र नत्थाराम जी जाति माली निवासी गोकूलवाडी शिवगंज
  - 3.जसीदेवी पत्नी तारारामजी जाति माली निवासी पोसालिया
  - 4.नथमल पुत्र छोगारामजी जाति माली निवासी पालडीजोड तह0 सुमेरपुर
  - 5.भंवरलाल पुत्र तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 6.ममतादेवी पुत्री तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 7.शंकरलाल पुत्र तारारामजी माली निवासी पोसालिया
  - 8.सीतादेवी पुत्री तारारामजी माली निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज
- विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पराज सोनी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जैसाराम पुत्र रतनलाल जी माली
2. हुकमीचंद पुत्र रतनलाल जी माली निवासीगण पोसालिया तह0 शिवगंज
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह राव  
प्रतिवादी सं0 1 व 2

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं0- 23/2023

दिनांक 17.02.2026

वकील पक्षकारान उपस्थित। वादग्रस्त आराजी मौजा पौसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नं0 1037/535, 670, 671, 672, 673 कुल किता 5 कुल रकबा 9.9147 हैक्टयर भूमि का बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश किया, अतः वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्ली किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त आराजी मौजा पौसालिया पटवार हल्का पोसालिया के खसरा नं0 1037/535, 670, 671, 672, 673 कुल किता 5 कुल रकबा 9.9147 हैक्टयर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्ली आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(नीरज मिश्र)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज (सिरोही)

मुदाई	रूपया/पै.	मुद्रायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिशनर मुतफरीक बाबतइजराय हुकमनामा मीजान	-शून्य-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरीक मीजान	-शून्य-

कमांक/कोर्ट/2026/ 8 2  
प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
तहसीलदार, शिवगंज।

दिनांक 17.02.2026

(नीरज मिश्र)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
शिवगंज (सिरोही)